

MP

①

## मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र.3(ए) 19/2003/21-ब(एक)1608

भोपाल, दिनांक 20.03.2019

प्रति

रजिस्ट्रार जनरल,  
म.प्र. उच्च न्यायालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 08.03.2019 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवां वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.01.2019 से 148 से बढ़ाकर 154 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, उक्त एरियर की राशि का भुगतान माह मार्च-2019 के वेतन से पूर्व नहीं किया जावेगा।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/ राहत की पुनरीक्षित दर लागू होगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2019 से पेंशन पर राहत 148 प्रतिशत से बढ़ाकर 154 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 08.03.2019 में बताई गई रीति से होगा।
- (2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2019 से नगद किया जावेगा।
- (3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)  
प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

IT  
28/3/19